

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

## आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 642 / 16.17 P.R. / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क्र० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की ग. कार्रवाई बारे में
------------------------	--------------------------------	------------------------------


30/07/2020

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती देवी सिंह मुंडा पिता / पति खेममोहन सिंह मुंडा  
 मौजा पुरतु थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -ii पृष्ठ संख्या- 28 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 04 / 88-89 के आधार पर दर्ज है। जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुपजाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>पुरतु</u>	<u>252</u>	<u>40</u>	<u>345</u>	<u>1.80 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 05/08/2020 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
अड़की।

05/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती देवी सिंह पिता/पति स्वामीमोहन सिंह मुख मौजा- पुरलु थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा- पुरलु थाना न० 252 खाता सं० 40 प्लॉट सं० 345 रकबा- 1.80 एकड़ लगान 5.42 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-... थाना न० 252 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-... पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।